

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2137] No. 2137] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 1, 2016/भाद्र 10, 1938

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 1, 2016/BHADRA 10, 1938

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2016

का.आ. 2824(अ).—केन्द्रीय सरकार, बालक श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) नियम, 1988 के नियम 3 के साथ पठित बालक श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक सलाहकार समिति, जिसे तकनीकी सलाहकार समिति के नाम से जाना जाएगा, को गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

1.	महानिदेशक, कारखाना सलाहकार सेवा श्रम संस्थान, मुंबई	अध्यक्ष
2.	महानिदेशक, खान सुरक्षा, धनबाद	सदस्य
3.	महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा, भारत सरकार, नई दिल्ली अथवा उनका	
	नामनिर्देशिति, जो अपर महानिदेशक के पद से नीचे का अधिकारी न हो	सदस्य
4.	महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली अथवा उनका	
	नामनिर्देशिति, जो उप-महानिदेशक के पद से नीचे का अधिकारी न हो	सदस्य
5.	मुख्य विस्फोटक पदार्थ नियंत्रक, नागपुर	सदस्य
6.	निदेशक, राष्ट्रीय व्यवसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद	सदस्य
7.	निदेशक, औद्योगिक आविष विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, लखनउ	सदस्य

[फा. सं. ए-42011/2/2016-सीएल]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2016

S.O. 2824(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986) read with rule 3 of the Child Labour (Prohibition and Regulation) Rules, 1988, the Central Government hereby constitutes an advisory committee to be called the Technical Advisory Committee consisting of the following members, namely:-

1. Director General, Factory Advice Services Labour Institutes, Mumbai. - Chairman 2. Director General, Mines Safety, Dhanbad Member 3. Director-General, Health Services, Government of Member India, New Delhi or his nominee not below the level of Additional Director General 4. Director General, Indian Council of Medical Research, New Delhi Member or her nominee not below the level of Deputy Director General 5. Chief Controller of Explosives, Nagpur. Member 6. Director, National Institute of Occupational Health, Ahmedabad. Member 7. Director, Industrial Toxicology Research Centre, Lucknow. Member

[F.No. A-42011/2/2016-CL]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.